



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL  
Government of Madhya Pradesh

क्र. 2412/फीस/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2023

दिनांक 29/9/23

## आदेश

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2023-24 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु निजी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क की समीक्षा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 22.09.2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों के चिकित्सा पाठ्यक्रमों में एन.आर.आई. कोटे की सीट की शुल्क संरचना स्नातक पाठ्यक्रमों में समीक्षित शुल्क का 3 गुना एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 3.5 गुना अधिकतम निर्धारित की जाती है।

नोट- यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण क्र. WP/25172/2022 एवं WP/3651/2023 के निर्णय के अधीन होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

डॉ. के.पी. साहू  
सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.आ/2023

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि-

1. निज राहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल को सूचनार्थ ।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. कुलसचिव, श्री अरविंदो विश्वविद्यालय, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कुलसचिव, मालवावल विश्वविद्यालय, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कुलसचिव, एल.एन.सी.टी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. कुलसचिव, पीपुल्स विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. कुलसचिव, एल.एन.सी.टी विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. कुलसचिव, सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. कुलसचिव, अमलतास विश्वविद्यालय, देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. कुलसचिव, विरायु विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
12. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल को सूचनार्थ।
13. गार्ड फाईल।

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल